न्यूज़ टुडे

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) 2025 में भारत की तीसरी 'स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा' (VNR) प्रस्तुत की

VNR एक देश द्वारा संचालित स्वयं का स्वैच्छिक आकलन है। इसका उद्देश्य एजेंडा 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को लागू करने में तेजी लाने हेतु अनुभवों को साझा करना है।

- VNR सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए भारत के 'समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण' को उजागर करता है।

इसके कार्यान्वयन से संबंधित रणनीति

- भारत डेटा-संचालित गवर्नेंस को बढ़ा रहा है और SDGs के कार्यान्वयन को स्थानीय स्तर तक ले जा रहा है। इसके लिए SDG इंडिया इंडेक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जैसे प्रमुख साधनों का उपयोग किया जा रहा है।

VNR के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- एजेंडा 2030 पर प्रगति: हालांकि वैश्विक स्तर पर प्रगति पिछड़ रही है, लेकिन भारत लगातार प्रगति कर रहा है।
- SDG-1 (गरीबी उन्मूलन): अनुमान है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच लगभग 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी निर्धनता (MPI) से बाहर निकल आए हैं।
- SDG-2 (शून्य भुखमरी): पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों लोगों के लिए पोषण सहायता सुनिश्चित की है।
- SDG-3 (उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण): कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय 2017-18 के 48.8% से घटकर 2020-21 में 39.4% हो गया।
- स्वच्छ ऊर्जा: नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे कार्यक्रम भारत के स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने संबंधी प्रगति को मजबूत कर रहे हैं।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: डिजिटल इंडिया, आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत की विविधतापूर्ण आबादी को सशक्त बनाया है। वैश्विक रियल टाइम भुगतान में UPI का योगदान 49% है।

उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) के बारे में

- उत्पत्ति: इसकी स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन (रियो+20) के परिणाम "हम जो भविष्य चाहते हैं (The Future We Want)" के तहत की गई थी।
- उद्देश्य: यह सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और इसके 17 SDGs की निगरानी एवं समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है।
- बैठक: इसकी बैठक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तत्वावधान में प्रतिवर्ष तथा महासभा के तत्वावधान में प्रत्येक चार वर्ष में होती है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) जीवन निर्वाह वेतन की अवधारणा पर चर्चा कर रहा है

इसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण में सुधार करना और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

- वर्तमान में कानून केवल न्यूनतम वेतन देने को अनिवार्य करता है।

जीवन निर्वाह वेतन का महत्त्व

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, विश्व स्तर पर लागू किया गया जीवन निर्वाह वेतन हर साल उत्पादकता और खर्च में वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त 4.6 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) उत्पन्न कर सकता है।
- महिला श्रमबल भागीदारी में सुधार: यह सभी श्रमिकों के लिए लाभदायक है, लेकिन महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी है। महिलाएं अक्सर बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से दूर रहती हैं।
  - उचित वेतन इन खर्चों को कवर कर महिलाओं के लिए कार्यबल में शामिल होना आसान बनाता है।
- अन्य लाभ:
  - यह महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि का समाधान करता है।
  - यह प्रतिभा आकर्षित करने और कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद करता है।
  - यह नए श्रम कानूनों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप है।

भारत में वेतन के प्रमुख प्रकार

न्यूनतम वेतन

- वेतन न केवल जीवन के **न्यूनतम निर्वाह** के लिए होना चाहिए, बल्कि श्रमिकों की **दक्षता बनाए रखने** के लिए भी होना चाहिए।
- न्यूनतम वेतन का भुगतान **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948** के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- **केंद्र और राज्य दोनों सरकारें न्यूनतम वेतन** तय कर सकती हैं, उसकी समीक्षा कर सकती हैं और उसे संशोधित कर सकती हैं।
- **वेतन संहिता, 2019** के तहत न्यूनतम वेतन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में सभी नियोजनों पर लागू होता है।

जीवन निर्वाह वेतन

- जीवन निर्वाह वेतन वह वेतन स्तर है, जो श्रमिकों और उनके परिवारों को **गरिमापूर्ण जीवन स्तर** प्रदान करता है।
- ILO के अनुसार इसमें **भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और कपड़ों** जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होना शामिल है।
- जीवन निर्वाह वेतन आमतौर पर **न्यूनतम वेतन से ज़्यादा** होता है और इसमें **क्षेत्रीय अंतरों को ध्यान** में रखा जाना चाहिए।
- **अनुच्छेद 43 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व- DPSPs):** राज्य उपयुक्त कानून आदि के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मज़दूरी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI, 2025) रिपोर्ट जारी की गई

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक भुखमरी** 2022 के स्तर से घटकर 2024 में अनुमानित 8.2% रह गई।
  - हालांकि, **अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश उप-क्षेत्रों में भुखमरी बढ़ती** जा रही है।
- वर्ष 2021 से **मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी** आई है।
- **2023 और 2024 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ीं** हैं। इससे वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार की औसत लागत बढ़ गई है।
  - **महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध** ने दुनिया भर में **खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को बढ़ा** दिया है।
  - **इस वृद्धि के बावजूद,** विश्व में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या 2019 के 2.76 बिलियन से घटकर 2024 में 2.60 बिलियन हो गई।
- 15-49 **वर्ष** की आयु वर्ग की **महिलाओं में एनीमिया** और **वयस्क लोगों में मोटापा** वैश्विक स्तर पर **बढ़** रहा है। वर्ष 2012 में 12.1% तथा 2022 में 15.8% लोग मोटापे से ग्रसित थे।

भारत से संबंधित निष्कर्ष

- **भारत को छोड़कर, अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों** की संख्या में **वृद्धि** देखी जा रही है।
- **केरल** में मछुआरों और थोक विक्रेताओं द्वारा **मोबाइल फोन के उपयोग से मूल्य असमानता एवं अपव्यय में कमी** आई है।

मुख्य सिफारिशें

- **समयबद्ध और लक्षित राजकोषीय उपाय** किए जाने चाहिए, जैसे- आवश्यक वस्तुओं पर अस्थायी कर राहत एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम।
- बाजारों को स्थिर करने के लिए **राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अनुरूप** बनाया जाना चाहिए।
- मूल्य अस्थिरता को प्रबंधित करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए **मजबूत कृषि बाजार सूचना प्रणालियां** महत्वपूर्ण हैं।

SOFI 2025 के बारे में

- SOFI रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की एक संयुक्त पहल है।
- यह **सतत विकास लक्ष्य-2 (SDG-2) के टार्गेट्स 2.1 और 2.2** के लिए वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है। SDG-2 का उद्देश्य सभी रूपों में **भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त** करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पांच वर्ष पूरे हुए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली के जरिए शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है। इससे भारत को एक **समतामूलक और जीवंत ज्ञान आधारित समाज** में बदलने में योगदान मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की प्रमुख उपलब्धियां

- **पाठ्यक्रम में सुधार: 5+3+3+4 संरचना और NCF-SE (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूली शिक्षा)** अनुभवात्मक एवं योग्यता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।
- **बुनियादी कौशल: निपुण (NIPUN) भारत** और **विद्या प्रवेश** जैसी पहलें 8.9 लाख स्कूलों में 4.2 करोड़ से अधिक छात्रों तक पहुंच चुकी हैं।
- **समावेशिता:** 1.15 लाख से अधिक **SEDG (सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह)** छात्र और 7.58 लाख छात्राएं आवासीय विद्यालयों में नामांकित हैं। **प्रशस्त (PRASHAST) ऐप** दिव्यांगता स्क्रीनिंग में सहायता प्रदान करता है।
- **शिक्षकों का प्रशिक्षण: निष्ठा (NISHTHA) पहल** के तहत 4 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** 72% **स्कूलों** में अब इंटरनेट उपलब्ध है। **विद्यांजलि, DIKSHA** (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग), **पीएम ई-विद्या (PM e VIDYA), ई-जादुई पिटारा** (AI-संचालित खेल-आधारित शिक्षा), **AI बॉट** (कथा सखी, टीचर तारा) जैसी पहलें चल रही हैं।
- **परीक्षण: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) (2022) अब स्नातक में प्रवेश** के लिए एक प्रमुख मार्ग है।

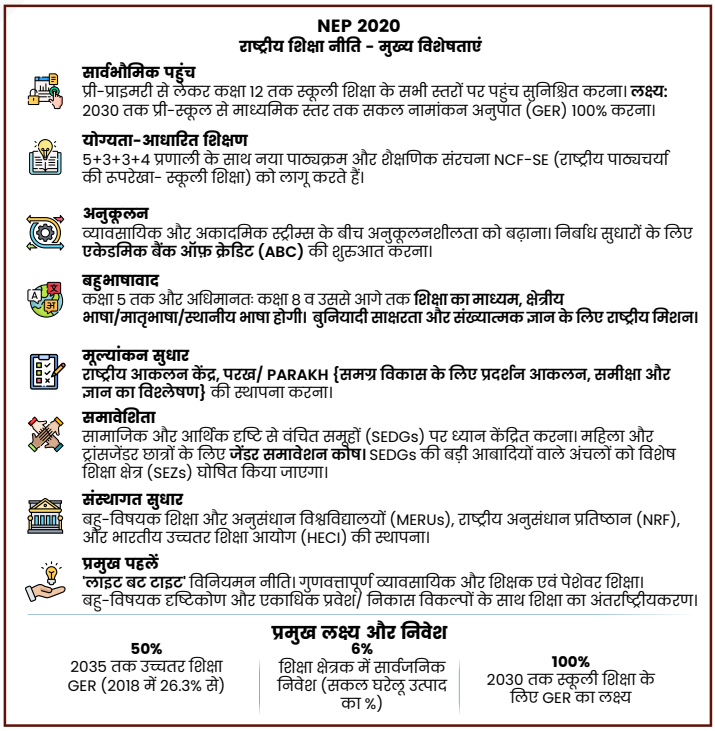

चुनौतियां

- **केंद्र-राज्य में नीतिगत मतभेद:** उदाहरण के लिए- केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने **पीएम-श्री स्कूलों** के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके लिए NEP को पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक है।
- **त्रि-भाषा फार्मूला:** राज्यों के विरोध के कारण इसेक कार्यान्वयन में चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।
- **संस्थागत विलंब:** UGC के उत्तराधिकारी के रूप में **भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)** का गठन और **शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFTE)** विलंबित है।

मानव निर्मित बांधों ने पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव किया है

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि बांध निर्माण के कारण पृथ्वी की **घूर्णन धुरी 1835 ई. से अब तक 1 मीटर से अधिक स्थानांतरित** हो चुकी है। इसे **ट्रू पोलर वैंडर (ध्रुवीय भ्रमण/ TPW)** कहा जाता है।

ट्रू पोलर वैंडर (TPW) क्या है?

- **परिभाषा:** TPW को **प्लैनेटरी रीयोरिएंटेशन** भी कहा जाता है। इसका अर्थ है **पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल का द्रवीकृत बाह्य कोर के ऊपर घूर्णन** करना।
  - यह पृथ्वी को घूर्णन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें **द्रव्यमान का पुनर्वितरण** होता है।
- **TPW को बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक कारक:** परंपरागत रूप से TPW का संबंध **हिमनदों के पिघलने, बर्फ की चादरों के पिघलने, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और समुद्री महातरंगों** (Ocean swell) जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से रहा है।

बांध कैसे TPW को बढ़ावा दे रहे हैं?

- बांधों के जलाशय बड़ी मात्रा में पानी को रोक लेते हैं, जो सामान्यतः महासागरों में चला जाता।
  - इससे **पृथ्वी का द्रव्यमान अंतर्देशीय (स्थलीय भाग पर) क्षेत्रों में पुनर्वितरित** हो जाता है, जिससे ग्रह के घूर्णन में बदलाव होता है। स्थालित भाग पर जलाशयों में संगृहीत अत्यधिक जल के भार से **पृथ्वी का द्रव्यमान संबंधी संतुलित वितरण बिगड़ जाता है,** जिससे ग्रह के घूर्णन में बदलाव होता है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि यह **बदलाव एकसमान नहीं** होता, बल्कि यह **बांधों के आकार और स्थान के अनुसार** होता है।

ध्रुवों के स्थानांतरण के प्रभाव:

- **नेविगेशन में समस्या:** ध्रुवों के खिसकने से **सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप** की स्थिति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये **पृथ्वी के सटीक घूर्णन पर निर्भर** करते हैं।
- **दिन लंबे हो रहे हैं:** पृथ्वी पर दिन धीरे-धीरे लंबे होते जा रहे हैं, और यह प्रक्रिया तेज हो रही है।

दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025** अधिसूचित किए हैं।

- ये नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि **दूषित स्थलों की सफाई (उपचार) जिम्मेदार व्यक्तियों** द्वारा की जाए।
- दूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं, जहां **पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान** किया जा चुका है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। साथ ही, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

मुख्य नियमों पर एक नजर

- **कवर किए गए प्रदूषक:** खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा-पार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार **189 खतरनाक पदार्थ।**
- **कवर नहीं किए गए प्रदूषक: रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्र में तेल रिसाव तथा ठोस अपशिष्ट डंपों** से होने वाला संदूषण। ये सभी अलग-अलग कानूनों द्वारा शासित हैं।
- **प्रतिक्रिया स्तर: कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों** के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया स्तर निर्धारित किए गए हैं।
- **दूषित स्थल प्रबंधन**
  - **स्थल की पहचान:** स्थानीय निकायों/ जिला प्रशासन द्वारा **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) को वर्ष में दो बार संदिग्ध स्थलों की सूचना** देनी होगी।
  - **स्थल का मूल्यांकन: SPCBs संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण** करेंगे और संभावित दूषित स्थलों की सूची बनाएंगे तथा केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सूचना देंगे।
  - **प्रदूषक की पहचान:** SPCBs प्रदूषक की पहचान करेंगे। यदि जमीन बेची जाती है, तो नया भू-स्वामी जिम्मेदार होगा।
  - **सफाई की योजना:** प्रदूषणकर्ता को एक अनुमोदित एजेंसी की सहायता से सफाई योजना लागू करनी होगी तथा इसके लिए भुगतान करना होगा।
    - हालांकि, यदि **प्रदूषणकर्ता की पहचान नहीं** हो पाती है, तो संबंधित SPCB सफाई की योजना को लागू करेगा।
- **मूल्यांकन और सुधार के लिए वित्त-पोषण: प्रारंभिक आकलन लागत को लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत पर्यावरण राहत कोष** से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी वहन किया जा सकता है।
  - यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान हो जाती है, तो ये लागतें **3 महीने के भीतर चुकानी** होंगी।
- **दंड:** विशेषकर यदि स्वास्थ्य को खतरा हो तो, **राज्य बोर्ड सफाई न करने पर जुर्माना** लगा सकता है।

ये नियम, पुराने दूषित स्थलों के सुधार के संबंध में अनुपस्थित कानून की समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही, ये **स्वैच्छिक सुधार के लिए प्रावधान** भी करते हैं।

अन्य सुर्ख़ियां

गीलोंग ट्रीटी

ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने AUKUS के पिलर-I के तहत एक द्विपक्षीय समझौता **न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलेबरेशन ट्रीटी (गीलोंग ट्रीटी)** पर हस्ताक्षर किए।

- **अमेरिका इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता** नहीं है।
- इससे पहले, ट्रम्प प्रशासन ने यह जांचने के लिए एक समीक्षा शुरू की थी कि क्या AUKUS पनडुब्बी समझौता उनके **"अमेरिका फर्स्ट"** एजेंडे के अनुरूप है।

- यह संधि परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के एक नए वर्ग के डिज़ाइन और निर्माण के लिए **50 साल के रणनीतिक सहयोग** को सक्षम बनाती है।
- **AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक सुरक्षा समझौता है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी साझाकरण पर केंद्रित है।

ध्वनिक निगरानी तकनीक (Acoustic Monitoring Technique)

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने ध्वनिक निगरानी तकनीक का **उपयोग करके असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार आयोजित ग्रासलैंड पक्षी गणना की प्रशंसा की।**

- इस गणना में **बंगाल फ्लोरिकन** और **ब्लैक-ब्रेस्टेड पैरटबिल** सहित **10 दुर्लभ या संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों** पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ध्वनिक निगरानी तकनीक

- पारंपरिक पक्षी सर्वेक्षण (जैसे- विजुअल स्पॉटिंग) **छोटे, शर्मीले और छिपकर रहने वाले पक्षियों के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं।** इसलिए, एक ध्वनिक निगरानी तकनीक का उपयोग किया गया था।
- **पक्षियों की मधुर ध्वनि और आवाजों को** रिकॉर्ड करने के लिए **प्रजनन काल (मार्च-मई)** के दौरान घास के मैदानों के पास ऊंचे वृक्षों पर **ध्वनिक रिकॉर्डर लगाए गए थे।**
- **ध्वनियों का विश्लेषण निम्नलिखित का उपयोग करके किया गया:**
  - **स्पेक्ट्रोग्राम** (ध्वनि का ग्राफिकल प्रदर्शन)।
  - **बर्डनेट (पक्षियों की आवाज पहचानने के लिए AI उपकरण)।**

ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक

हाल ही में, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित की गई।

मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर

- **नया ब्रिक्स सांस्कृतिक मंच:** ब्रिक्स समूह के भीतर **सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को** बढ़ावा देने के लिए एक मंच स्थापित करने पर सहमति हुई।
  - **सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे** का विकास करना, **कंटेंट शेयरिंग को बढ़ावा देना, कलाकारों के आदान-प्रदान का समर्थन करना और संयुक्त प्रोजेक्ट्स शुरू करना।**
- **2030 के बाद के विकास एजेंडे में संस्कृति: यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक नीति एवं सतत विकास सम्मेलन (MONDIACULT)** के अनुरूप, 2030 के बाद के विकास एजेंडे **में संस्कृति को एक अलग लक्ष्य के रूप में** शामिल करने का समर्थन किया गया।
  - UNFCCC के संस्कृति आधारित जलवायु कार्रवाई मिलों के समूह (GFCBCA) पर भी चर्चा की गई।

एन-नाइट्रोसोडिमेथिलअमाइन (NDMA)

हाल ही में, संदूषण की जानकारी के पश्चात CDSCO ने अनुरोध किया कि पेट में एसिड उत्पादन को कम करने वाली दवा एंटासिड **रैनिटिडिन में NDMA के स्तर की जांच की जाए।**

NDMA क्या है?

- कमरे के तापमान पर एक **पीला, गंधहीन तरल।**
- यह विनिर्माण के दौरान **अनजाने में** बनता है और **हवा, पानी, मिट्टी** और कुछ **खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।**
- यह **संभवतः कैंसर पैदा करने वाला** (कार्सिनोजेन) एक कारक है।
- **पहले इसका उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता था,** लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया।
- यह **सौंदर्य प्रसाधनों, स्नेहकों** और **प्लास्टिक** में भी एक योजक या सॉफ़्नर के रूप में उपयोग किया जाता है।

सेतुबंध स्कॉलर योजना

सेतुबंध स्कॉलर योजना पारंपरिक गुरुकुलों के छात्रों को शीर्ष IITs में मान्यता प्राप्त डिग्री और शोध छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

सेतुबंध स्कॉलर योजना के बारे में

- यह योजना पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को महत्वपूर्ण संस्थागत मान्यता प्रदान करती है, जो दशकों से औपचारिक शैक्षणिक संरचनाओं के बाहर संचालित होती रही हैं।
- यह योजना **स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करके उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा जगत में शामिल करने में सहायता करती है।**
- यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित है और **केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) के भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) प्रभाग** द्वारा लागू की जाएगी।
- इसके तहत **प्रति माह 65,000 रुपये तक की फेलोशिप प्रदान** की जाती है।

प्रेह विहार मंदिर

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का केंद्र **प्रेह विहार मंदिर** है, जिसे थाई भाषा में **फ्रा विहान कहा** जाता है।

प्रेह विहार मंदिर के बारे में

- यह थाई-कंबोडियाई सीमा पर **डांगरेक पहाड़ों के शिखर** पर स्थित एक प्राचीन मंदिर परिसर है।
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति:** इसका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में **ख्मेर साम्राज्य** के स्वर्णिम काल के दौरान हुआ था।
- **महत्व:** यह **भगवान शिव का मंदिर** है और दोनों देशों के लिए एक पवित्र और प्रतीकात्मक स्थल है।
- 2008 में, इसे **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध** किया गया था।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र

हाल ही में, सरकार ने 7 **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (ZCCs) की** स्थापना की स्थिति की समीक्षा की।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में

- **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन **स्वायत्त निकाय।**
- **लोक, जनजातीय और लुप्त होती कलाओं को संरक्षित करना तथा उन्हें बढ़ावा** देना।
- **युवाओं की सहभागिता** पर ध्यान केन्द्रित करना और **भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करना।**
- **मुख्यालय:** पटियाला (पंजाब), नागपुर (महाराष्ट्र), उदयपुर (राजस्थान), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), दीमापुर (नागालैंड) और तंजावुर (तमिलनाडु)।

FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025

दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व कप 2025 में **हंपी कोनेरु को हराकर** तीसरी **महिला विश्व कप विजेता** बनीं। यह टूर्नामेंट **बाटुमी, जॉर्जिया** में आयोजित हुआ।

- अब वह भारत की **चौथी महिला ग्रैंडमास्टर** बनने के लिए पात्र हो गई हैं।
  - इससे पहले तीन हैं: **कोनेरु हंपी, हरिका द्रोणावल्ली** और **वैशाली रमेशबाबू।**
- **FIDE महिला विश्व कप** एक टूर्नामेंट है, जो विश्व शतरंज चैम्पियनशिप से भिन्न है। इसका आयोजन **FIDE (अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ)** द्वारा किया जाता है।
  - FIDE शतरंज के खेल का शासी निकाय है, और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को विनियमित करता है।

नेल्सन मंडेला पुरस्कार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने **नेल्सन मंडेला पुरस्कार ब्रेंडा रेनॉल्ड्स (कनाडा) और केनेडी ओडेडे (केन्या)** को प्रदान किया।

पुरस्कार के बारे में:

- यह पुरस्कार **2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह हर **5 साल में** एक **महिला और एक पुरुष** (अलग-अलग क्षेत्रों से) को दिया जाता है।
- यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपना जीवन **मानवता की सेवा,** विशेष रूप से **पुनः मेल-मिलाप, सामाजिक एकता और सामुदायिक विकास** के लिए समर्पित किया है।
- विजेताओं को **प्रशस्ति-पत्र युक्त एक पट्टिका** दी जाती है। पट्टिका में **नेल्सन मंडेला का उद्धरण** होता है। इसमें **कोई नकद पुरस्कार नहीं** दिया जाता।
- **संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी** इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते है।
- अब तक **किसी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं** मिला है।